न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर
पीठासीन अधिकारी श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 32/2014

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रेमाराम दत्तक पुत्र पूसकी जाति मेघवाल निवासी डोडू तहसील जायल जिला नागौर।		1अणची पुत्री पेमाराम जाति मेघवाल निवासी डोडू तहसील जायल जिला नागौर। 2जगराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल (फौत) निवासी डोडू तहसील जायल जिला नागौर 3तहसीलदार, जायल।

प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी.

आदेश दिनांक :08.10.2021

1–मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार जायल द्वारा बंटवाडा दिनांक 30.11.2004 स्वीकार करने के आदेश मे पारित आदेश जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 29.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 2 जगराम फौत होना बताते हुए उनके कायम मुकामान रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद राठी ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 12.02.2021 को पेश किया।

2–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा तर्क दिया कि–

2(1)–रेस्पोडेन्ट सं. 2 जगराम का देहांत अक्टूबर माह 2019 मे हो चुका है।

2(2)–रेस्पोडेन्ट सं. 2 जगराम का देहान्त हो जाने से उसके स्थान पर जगराम के कायम मुकामान को रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

2(3)–उक्त पत्रावली पूर्व मे तलबी हेतु विचाराधीन थी। इसलिये अपीलांट पेशियो पर नही आ रहा था। फिर कोविड 19 महामारी के कारण नही आ सका और अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व अनपढ व्यक्ति होने से कानून की पूर्ण जानकारी नही थी। इसलिये आवेदन पत्र पेश नही कर सका तथा अभी पत्रावली बहस आने पर अधिवक्ता ने अपीलांट को सूचित किया तो आज हाजिर आया और अपीलांट ने जगराम की मृत्यु हो जाने का अधिवक्ता को कहा गया तब अपीलांट को आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक होने की जानकारी मिलने पर जानकारी के अंदर मियाद यह आवेदन पेश किया तथा देरी का कारण वाजिब व संतोषजनक है। इसलिये देरी को माफ किया जाकर अपीलांट का आवेदन पत्र स्वीकार कर जगराम के कायम मुकामान को रेकर्ड पर लिया जाना न्यायोचित है।

3–वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस शुरू करते हुए बताया कि–

3(1)–आवेदन पत्र की मद सं. 1 मे स्व. जगराम का देहान्त माह अक्टूबर 2019 मे होना बताया है। यह तथ्य सर्वथा गलत है। वस्तुतः जगराम का 17 फरवरी 2018 को स्वर्गवास हो गया था। जो कायम मुकाम बताये है। उनके कोई विरोध नही।

3(2)–प्रत्यर्थी सं. 2 के स्वर्गवास के पश्चात उनके कायम मुकामान को इस प्रकार से रेकर्ड पर लिया जाना न तो आवश्यक है व न ही न्यायोचित है।

3(3)–अपीलांट का ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होना, पेशियो पर नही आना, कानून की पूर्ण जानकारी नही होना एवं जगराम की मृत्यु बाबत बहस के समय अधिवक्ता द्वारा कहा जाना आदि समस्त कथन सर्वथा गलत होने से अस्वीकार है। उक्त आवेदन पत्र किसी भी रूप या प्रकार से अंदर मयाद नही है। इस आधार पर आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(4)–अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र पूर्णतया झूठे, निरर्थक एवं बेबुनियाद तथ्यो पर आधारित होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

3(5)–जगराम का स्वर्गवास दिनांक 17.02.18 को हो गया था। 30 दिवस की अवधि के पश्चात ऐसी अपील अबेट हो जाती है। यहां पर तो उसके स्वर्गवास हुए आज करीबन 3 वर्ष पूरे हो रहे है। इस प्रकार से उक्त अपील इस आधार पर अबेट हो चुकी है तथा उक्त अपील जो अबेट हो चुकी है। ऐसे अबेट को निरस्त करने का कोई अनुतोष या कथन नही किया गया है।

3(6)–जगराम का स्वर्गवास दिनांक 17.02.18 को हो चुका है। उनके स्वर्गवास होने के आज करीबन 3 वर्ष पूर्ण हो चुके है। जबकि ऐसा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि मे पेश करना होता है जो आवेदन पत्र निर्धारित अवधि 90 दिन के भीतर पेश करना होता है। उक्त आवेदन पत्र 90 दिन के भीतर पेश नही किया गया है। इसलिये उक्त आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया मयाद बाहर हो चुका है। ऐसे मयाद बाहर आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही न्यायालय हाजा नही कर सकता है। मयाद के संबंध मे धारा 5 परिसीमा अधिनियम का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही हुआ है। इसलिये इस आधार पर उक्त आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(7)–जगराम के स्वर्गवास होने की जानकारी अपीलार्थी को थी तथा ऐसा स्वभाविक भी है क्योकि स्वयं अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 2 के परिवार मे बहन का बेटा है। इसके अतिरिक्त स्व. जगराम के कायममुकामान ने एक अपील दिनांक 09.10.19 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नागौर के समक्ष पेश कर दी है। उक्त अपील मे अपीलार्थी दिनांक 17.12.19 को उपस्थित हो चुका है। उस समय भी अपीलार्थी दिनांक 17.12.19 को उपस्थित हो चुका है। उस समय भी अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को स्व. जगराम की मृत्यु होने की जानकारी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति मे स्व. जगराम की मृत्यु की जानकारी अपीलार्थी को नही होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अपीलार्थी द्वारा कोविड 19 का जो सहारा लिया गया है। वह गलत है। क्योकि कोविड 19 मे लॉकडाउन दिनांक 23.03.2020 से हुआ था। जबकि जगराम की मृत्यु की जानकारी तो इससे महीनो पहले ही यानि मृत्यु होते ही हो गयी थी। इस प्रकार से उक्त आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया मयाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे (22) 2015 पेज 430 व डीएनजे राज 2014(2) पेज 709 नजीरे प्रस्तुत की है।

4–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 जगराम दिनांक 17.2.18 को फौत हो जाना प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.2.18 से प्रतीत होता है। पक्षकार की मृत्यु होने पर 90 दिवस के भीतर कानूनी वारिसान को रेकर्ड पर लेने की कार्यवाही करनी होती है। जबकि प्रस्तुत मामले मे आदेश 22 नियम 4 व 9 का प्रार्थना पत्र 29.01.21 को प्रस्तुत हुआ है। जो कि लगभग तीन वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारान आपस मे एक ही परिवार के नाती रिश्तेदार है। उनको समय पर मृत्यु की जानकारी नही हुई हो, ऐसा भी नही माना जा सकता है। देरी के लिये पर्याप्त कारण एवं प्रत्येक दिन की देरी का औचित्यपूर्ण कारण बताना होता है। मगर ऐसा नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट का प्रार्थना पत्र उचित आधारो पर प्रतीत नही होता है।

5–उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. दिनांक 29.01.2021 बाबत रेस्पोडेन्ट सं. 2 जगराम के कायम मुकामान माफिक प्रार्थना पत्र मोडाराम, पुरखाराम, किशनाराम, खींयाराम, लिखमाराम, जीवणी तथा धनी को रेस्पोडेन्ट पक्षकार रेकर्ड पर लेने से संबंधित प्रार्थना पत्र ठोस आधारो पर नही होने से खारिज किया जाता है तथा निर्धारित समय अवधि मे कायम मुकाम की कार्यवाही नही करने से अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील चलने योग्य नही होने से जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है।

6–आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर